[2022] 2 एस. सी. आर. 694

ए.

ईश्वरजी नागाजी माली

वी.

गुजरात और अन्य राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 70)

बी.

18 जनवरी, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता -s.439-दंड संहिता, 1860-ss.302, 120 बी, 114-जमानत-अनुदान, जब उचित नहीं था-शुरू में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।304 ए, भारतीय दण्ड संहिता और एसएस।177, 184 & 134, प्रत्यर्थी सं. द्वारा सुनाई गई कहानी पर विचार करते हुए मोटर वाहन अधिनियम।2 कि उनकी पत्नी को गलती से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी जब वे एक साथ चल रहे थे-हालाँकि, बाद में यह पता चला कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारने और अपराध को एक दुर्घटना के रूप में मानने के लिए सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ एक आपराधिक साजिश रची-यू/एस. एस. पर आरोप लगाया गया।302, 120(बी), 114, भारतीय दण्ड संहिता सी.-सत्र न्यायालय द्वारा खारिज जमानत-उच्च न्यायालय के यू/एस के समक्ष आवेदन दायर किया गया।439, एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और प्रथम दृष्टया घटनाओं की पूरी श्रृंखला साबित हो गई है-प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर, एकल न्यायाधीश ने अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए किसी भी साक्ष्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है, जो अपराध की गंभीरता और प्रत्यर्थी नं.2, उच्च न्यायालय को उन्हें जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था-विवादित आदेश कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी अस्थिर है, जिसे दरकिनार कर दिया गया है-मोटर वाहन अधिनियम, 1988।177, 184,134.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जमानत-अनुदान-विचार किए जाने वाले कारक/प्रासंगिक विचार-चर्चा की गई।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाःउच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 इसमें जमानत पर कानून के साथ-साथ तथ्यों दोनों पर टिकाऊ नहीं है।चाहे जो भी कारण हों।

एच.

694 ए.

695

ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य ए

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जर्मन नहीं हैं।उच्च न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है, जो आरोप पत्र का हिस्सा हैं।अनुसंधान के दौरान और यहाँ तक कि आरोप पत्र के अनुसार यह आरोप लगाया जाता है कि मौद्रिक लाभों के लिए, प्रत्यर्थी नं।2 उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रची और एक आकस्मिक मामला बनाने की कोशिश की।अनुसंधान के दौरान, यह पता चला है कि प्रत्यर्थी नं।2 रुपये की **29.09.2020** पर अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली। **60** लाख।अपराध की तारीख **7** बजे **26.12.2020** हैः**00** ए. एम. अनुसंधान के दौरान और कॉल विवरण से यह पता चला है कि प्रत्यर्थी नं.**2 4** से दूसरे सह-अभियुक्त के साथ फोन पर लगातार संपर्क में थाः**22** ए. एम. से **6:25** ए. एम. **26.12.2020** पर। अनुसंधान के दौरान और आरोप पत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश के एक हिस्से के रूप में, प्रत्यर्थी नं।2 अपनी पत्नी को पैदल हनुमान जी मंदिर ले गया और जैसे ही उसे रास्ते में मौका मिला, उसने योजना को अंतिम रूप देने के लिए सह-आरोपी को फोन किया।सह-अभियुक्त ने एक अन्य सह-अभियुक्त (स्विफ्ट कार के चालक) को फोन किया और उसके बाद उक्त सह-अभियुक्त ने मृतक को उक्त कार से मारा और पीछे से हत्या कर दी ताकि इसे आकस्मिक मृत्यु माना जा सके।इन सभी समय के दौरान, सभी आरोपी फोन कॉल पर संपर्क में थे।एक अन्य कारण उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर यह है कि अभियुक्त की समाज में गहरी जड़ें हैं और भागने या मुकदमे से बचने या सबूतों/गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका व्यक्त नहीं की जाती है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **120** बी के साथ पठित धारा **302** के तहत अपराध करने के मामले में और अपनी

पत्नी की हत्या की साजिश रचने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उपरोक्त शायद ही आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार हो सकता है।इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए और प्रत्यर्थी सं. द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए।**2,** उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या जारी नहीं करनी चाहिए थी।**2** जमानत पर।प्रत्यर्थी नं. को रिहा करते समय।**2** जमानत पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय उन मापदंडों पर विचार नहीं किया है जिन पर विचार किया जाना चाहिए और वह भी हत्या और उसकी पत्नी की हत्या की साजिश रचने के गंभीर अपराध में।विवादित आदेश पारित किया गया

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी नं.**2** समर्पण करने के लिए।**[**पारस **7,9** और **10] [700-**जी-एच**; 705-**एफ-एच**; 706-**ए-डी**,** एफ**]**

रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना **(**कोली**)** और अन्य**, (2021) 6** एससीसी **630;** गुडीकांती नरसिम्हुलु और ओआरएस बनामलोक अभियोजक**,** आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय **(1978) 1** एस**.** सी**.** सी**. 240:[1978] 2** एस**.** सी**.** आर**. 371;** प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली का एन**.** सी**.** टी**.**

बी.

& ओआरएस (2001) 4 एससीसी 280:[2001] 2 एससीआर 684; राम

गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह **(2002) 3** एससीसी **598:[2002] 2** एस**.** सी**.** आर**. 526;** कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्र। **(2004) 7** एससीसी **528:2004 (3)** जे**.** टी**. 442;** प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष

सी.

चटर्जी (2010) 14 एस. सी. सी. 496:[2010] 12 एससीआर 1165;

नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। **(2016) 15** एससीसी **422:[2015] 10** एससीआर **802;** अनिल कुमार यादव बनाम राज्य **(**एनसीटी**)**

दिल्ली) (2018) 12 एस. सी. सी. 129:[2017] 11 एस. सी. आर. 195-पर निर्भर।

डी.

भूपेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या **1279** पर निर्णय लिया गया

29.10.2021); महिपाल बनाम राजेश कुमार**, (2020) 2** एससीसी

118:[2019] 14 एस**.** सी**.** आर**. 529-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

ई.

[2019] 14 एससीआर **529**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

[1978] 2 एससीआर **371**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8 (**ए**)**

[2001] 2 एससीआर **684**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8 (**बी**)**

एफ.

[2002] 2 एससीआर **526**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8 (**सी**)**

[2010] 12 एससीआर **1165**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8 (**ई**)**

[2015] 10 एससीआर **802**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8 (**एफ**)**

[2017] 11 एससीआर **195**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8.1**

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.70।

आर/क्रिमिनल मिस्क में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.07.2021 के निर्णय और आदेश से।2021 का आवेदन No.9390।

एच.

697

ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य ए

ए.

प्रद्युम्न गोहिल, सुश्री तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, आर. विष्णु कुमार, अलापति साहित्य कृष्ण, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री नीलम सिंह, सुश्री लारा सिद्दीकी, अरविंद कुमार, प्रह्लाद नारायण सिंह, समीर सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2021 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 9390 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.07.2021 के विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 9390 को रिहा करने का निर्देश दिया है।2 (अभियुक्त) सी. आर. नं. में दर्ज एफ. आई. आर. के संबंध में जमानत पर। भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302,120 (बी), 114,304 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,184 और 134 के तहत,

मृतक के पिता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. विचाराधीन घटना 26.12.2020 की सुबह 7 बजे हुई:00 ए. एम. जब प्रत्यर्थी नं.2 इसमें अपनी पत्नी, दक्साबेन (मृत) के साथ डीसा में अपने घर से गेला गांव में हनुमान जी मंदिर जाने के लिए निकले और लगभग 07 बजे जा रहे थे:00 जब वे चल रहे थे, मृतक को पीछे से एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन (रंगीन स्विफ्ट डिजायर) ने टक्कर मार दी और जो तुरंत भाग गया। वह एक सेवंतीभाई रणछोड़जी टैंक, प्रत्यर्थी नं.2 प्रत्यर्थी नं. 1 द्वारा सुनाई गई कहानी के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 ए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,184 और 134 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शुरू में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।2 कि उनकी पत्नी को गलती से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी जब वे एक साथ चल रहे थे।2.1 कि अनुसंधान के दौरान और अनुसंधान के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए और प्रत्यर्थी सं.2 और उनके दोस्त कीर्तिकुमार कानाजी, यह पता चला कि प्रत्यर्थी नहीं।2 अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर रुपये देकर अपनी पत्नी की हत्या करने की आपराधिक साजिश रची। स्विफ्ट कार के चालक को मृतक को उसकी पीठ से मारने के लिए 2 लाख रुपये और अपराध को एक दूसरे के साथ मिलीभगत में एक दुर्घटना के रूप में मानने की योजना बनाई।जाँच अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307,120 (बी) और 114 के तहत दंडनीय अपराधों को जोड़ने के लिए एक आवेदन किया गया था। दिनांक 6.2.2021 के आदेश के अनुसार, विद्वान

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

मजिस्ट्रेट ने जाँच अधिकारी को अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराधों को जोड़ने की भी अनुमति दी।इसके बाद विस्तृत अनुसंधान के समापन पर और 40 व्यक्तियों/गवाहों के बयान दर्ज करने और प्रत्यर्थी संख्या के बीच कॉल विवरण प्राप्त करने के बाद।2 और सह-अभियुक्त,

प्रत्यर्थी नं।2 और अन्य सह-अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 172,120 (बी) और 114 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।

बी.

2.2 वह प्रत्यर्थी नहीं।2 विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की।दिनांक 19.05.2021 के एक विस्तृत आदेश द्वारा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवदार ने उक्त जमानत याचिका को खारिज कर दिया।कि इसके बाद, प्रत्यर्थी नं।2 नियमित जमानत के लिए धारा 439 Cr.P.C के तहत अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 का आपराधिक विविध आवेदन संख्या 9390 दायर किया।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया है और प्रत्यर्थी नं.2 पैराग्राफ 4 के खंड (iv) और (v) में अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखे बिना और अपराध की गंभीरता और प्रत्यर्थी सं.2 आर्थिक लाभ के लिए अपनी पत्नी की हत्या करना।पैराग्राफ 4 के खंड (iv) और (v) में की गई टिप्पणियों को नीचे पढ़ा गया हैः

सी.

डी.

ई.

“(iv) प्रस्तुतियों के अंत में, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए, ऐसे कमजोर साक्ष्य पर वर्तमान आवेदक को जमानत देने से इनकार करना कानूनी और उचित नहीं है।

(v) आवेदक की समाज में गहरी जड़ें हैं, भागने या मुकदमे से बचने या साक्ष्य/गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका व्यक्त नहीं की जाती है।”

एफ.

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर, मृतक के पिता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

जी.

3. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रद्युम्न गोहिल ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर।

एच.

ए.

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर, उच्च न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई किसी भी सामग्री, जो आरोप पत्र का हिस्सा है, और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को स्वीकार नहीं किया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इसके अलावा कोई कारण नहीं बताया है कि यह परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला है जिसे साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा कहा जा सकता है।

बी.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर होना निर्धारित कानून के विपरीत है

(2021) 6 एस. सी. सी. 630 में रिपोर्ट किए गए रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा,

सी.

साथ ही भूपेंद्र के मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय

सिंह बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य (की आपराधिक अपील संख्या 1279)

2021, 29.10.2021) पर निर्णय लिया गया और इस मामले में इस न्यायालय का निर्णय

महिपाल बनाम राजेश कुमार, (2020) 2 एस. सी. सी. 118 में रिपोर्ट किया गया।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अनुसंधान के दौरान, यह पता चला है कि प्रत्यर्थी नं।2 वित्तीय कठिनाई में थे; उन्हें अपने और अपनी पत्नी के संयुक्त नाम पर एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी मिली। 29.09.2020 पर 60 लाख।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद उसने (प्रतिवादी संख्या 2) अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी पत्नी की हत्या करने की आपराधिक साजिश रची और अंततः 26.12.2020 पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

डी.

ई.

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसंधान के दौरान, अनुसंधान अधिकारी ने घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या के बीच कॉल विवरण एकत्र किया है।2 और सह-अभियुक्त कीर्तिकुमार कानाजी और स्विफ्ट कार के सह-अभियुक्त चालक और यह पाया गया है कि तीनों एक-दूसरे के संपर्क में थे और उन्होंने 4 के बीच बात की:22 ए. एम. से 6:25 घटना

की तारीख को सुबह और उसके बाद मृतक को सह-आरोपी महेशभाई ने 7 बजे मारा था:00 ए. एम. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर।

एफ.

जी.

4. गुजरात राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना पाठक दवे ने अपीलार्थी का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए।2, उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या जारी नहीं करनी चाहिए थी।2 जमानत पर।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विस्तृत अनुसंधान के बाद, प्रत्यर्थी नं।2 और

एच.

700

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

अन्य सह-अभियुक्तों पर आपराधिक साजिश रचने और प्रत्यर्थी नं. 1 की पत्नी की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 और 120 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।2 आर्थिक लाभ के लिए।

5. सुश्री नीलम सिंह, प्रत्यर्थी नं.2 वर्तमान अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अनुसंधान पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है और प्रत्यर्थी नं.2 इसकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या को जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है।2 जमानत पर, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित हो।

बी.

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।हम उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर।पैराग्राफ 4 के खंड (iv) और (v) में टिप्पणियों को छोड़कर, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या को जारी करते समय कोई और कारण नहीं दिए गए हैं।2 जमानत पर।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई सामग्री को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है।उच्च न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया भी विचार नहीं किया है और प्रत्यर्थी नं.2 अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने के ऐसे गंभीर अपराध में, केवल यह देखते हुए कि चूंकि यह परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला है, जो साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है, प्रत्यर्थी

नं.2.केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अनुसंधान के दौरान साक्ष्य/सामग्री एकत्र की गई है और प्रथम दृष्टया घटनाओं की पूरी श्रृंखला साबित हो गई है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई किसी भी सामग्री/साक्ष्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है और/या उस पर विचार नहीं किया है, जो आरोप पत्र का एक हिस्सा है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. एक अन्य कारण उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 जमानत पर यह है कि अभियुक्त की समाज में गहरी जड़ें हैं और भागने या मुकदमे से बचने या सबूतों/गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका व्यक्त नहीं की जाती है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध करने के मामले में और अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उपरोक्त शायद ही आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार हो सकता है।

जी.

एच.

701

ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

8. इस स्तर पर, जमानत देने पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

क) गुडीकांती नरसिम्हुलु और ओआरएस बनाम।लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय-(1978) 1 एस. सी. सी. 240,

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने विचाराधीन व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की सामग्री के बारे में विस्तार से बताते हुए, जमानत देते समय जिन प्रमुख कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, उन्हें नीचे दिया गया हैः

बी.

"7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आरोप की प्रकृति महत्वपूर्ण कारक है और साक्ष्य की प्रकृति भी प्रासंगिक है।यदि दोषी ठहराए जाने या दोषी ठहराए जाने की पुष्टि हो जाती है, तो पक्ष जिस दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकता है, वह भी इस मुद्दे पर निर्भर करता है।

सी.

8. एक अन्य प्रासंगिक कारक यह है कि क्या न्याय के मार्ग को उस व्यक्ति द्वारा विफल किया जाएगा जो न्यायालय की सौम्य अधिकारिता को कुछ समय के लिए मुक्त करने की मांग करता है।

डी.

9. इस प्रकार कानूनी सिद्धांत और व्यवहार आवेदक द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने या अन्यथा न्याय की प्रक्रिया को प्रदूषित करने की संभावना पर विचार करते हुए न्यायालय को मान्य करते हैं।इस संदर्भ में, जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच करना न केवल पारंपरिक बल्कि तर्कसंगत है, यह पता लगाने के लिए कि क्या उसका रिकॉर्ड खराब है-विशेष रूप से एक रिकॉर्ड जो बताता है कि वह जमानत पर रहते हुए गंभीर अपराध कर सकता है।आदतन के संबंध में, यह आपराधिक इतिहास का हिस्सा है कि एक विचारहीन जमानत आदेश ने बेली को प्रतिवादी के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में आगे बताने के अवसर का फायदा उठाने में सक्षम बनाया है, इसलिए यह अप्रासंगिकता का अभ्यास नहीं है।"

ई.

एफ.

जी.

ख) प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस.-(2001)

4 एस. सी. सी. 280 इस न्यायालय ने उन पहलुओं पर प्रकाश डाला जिन पर जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उसी को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:"जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए

एच.

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ और मनमाने तरीके से नहीं।जमानत देते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, सजा की गंभीरता जो दोषसिद्धि के लिए आवश्यक होगी, अभियुक्त के चरित्र, व्यवहार, साधन और स्थिति, परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता या राज्य के व्यापक हितों और इसी तरह के अन्य विचारों को ध्यान में रखना होगा।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमानत देने के उद्देश्यों के लिए विधानमंडल ने "साक्ष्य" के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से संबंधित अदालत केवल इसे संतुष्ट कर सकती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत पेश करने में सक्षम होगा।”

बी.

सी.

डी.

ग) राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन में यह न्यायालय।

सिंह-(2002) 3 एस. सी. सी. 598 ने बनर्जी, जे. के माध्यम से बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि जमानत के मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग करने वाली अदालत को इसे विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा।यह रेखांकित करते हुए कि जमानत निश्चित रूप से एक मामले के रूप में नहीं दी जा सकती है, ठोस तर्क के बिना, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

ई.

“3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है-लेकिन, इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से।बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।हालाँकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की मंजूरी अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करती है और तथ्य हमेशा मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं।जबकि समाज में अभियुक्त की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के मामले में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जमानत देने की आवश्यकता वाली अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है-अपराध जितना जघन्य होता है, ए की अस्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक होती है।

एफ.

जी.

हालाँकि, जमानत मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करती है।"

घ) कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ

पप्पु यादव और अन्य-(2004) 7 एस. सी. सी. 528, यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि यह साबित किया गया है कि जमानत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा नहीं कर सकती है, अदालत को जमानत देने को उचित ठहराते हुए प्रथम दृष्टया कारणों का संकेत देना आवश्यक है।

बी.

ई) प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी-(2010)

14 एस. सी. सी. 496 इस न्यायालय ने कहा कि जहां उच्च न्यायालय ने यांत्रिक रूप से जमानत दी है, वहां उक्त आदेश मन का उपयोग न करने से प्रभावित होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा।इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों के संबंध में अभिनिर्धारित किया जिनके तहत जमानत देने वाले आदेश को रद्द किया जा सकता है।ऐसा करने में, जमानत देने के न्यायालय के निर्णय का मार्गदर्शन करने वाले कारकों का विवरण भी नीचे दिया गया है:"यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैं:((i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था; (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा; (v) चरित्र, व्यवहार, अर्थ, स्थिति और आरोपी की स्थिति; (vi) अपराध के दोहराने की संभावना; (vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय को विफल करने का खतरा।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

च) एरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 15 एस. सी. सी.

422, इस न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद

एच.

जमानत देने का निर्णय लेते समय संतुलन में रखे जाने वाले विचारों पर, पैराग्राफ 15 और 18 में निम्नानुसार देखा गया हैः“15. कानून की यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है वह समानता का सिद्धांत है।अपराधों की प्रकृति में शामिल एक हिस्ट्रीशीटर, जिसे हमने ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है, मामूली अपराध नहीं हैं ताकि उसे हिरासत में नहीं रखा जा सके, लेकिन अपराध जघन्य प्रकृति के हैं और ऐसे अपराधों को, किसी भी तरह की कल्पना के बिना, जेजुन माना जा सकता है।इस तरह के मामले एक विश्लेषणात्मक दिमाग में मूसलाधार बारिश की क्षमता के साथ एक गड़गड़ाहट और बिजली पैदा करते हैं।कानून उम्मीद करता है कि न्यायपालिका इस तरह के अभियुक्त व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर स्वीकार करते समय सतर्क रहे और इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से विवेक के प्रयोग पर जोर दिया जाता है न कि सनकी तरीके से।

बी.

सी.

डी.

x x x

18. मामला छोड़ने से पहले, हम लाभ के साथ दोहरा सकते हैं कि यह जमानत रद्द करने की अपील नहीं है क्योंकि रद्द करने की मांग पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण नहीं की जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है क्योंकि कई प्रासंगिक

कारकों पर विचार नहीं किया गया है जिसमें अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि शामिल है और जो आदेश को विचलित करने वाला बनाता है।इसलिए, अपरिहार्य परिणाम विवादित क्रम का लैंसिनेशन है।"

ई.

एफ.

8.1 अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)-(2018) 12

एस. सी. सी. 129, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जमानत देते समय, प्रासंगिक विचार हैं, (i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति; (ii) साक्ष्य और परिस्थितियों का चरित्र जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; और (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर उसकी रिहाई का प्रभाव, समाज पर इसका प्रभाव; और (v) उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना।

जी.

8.2 जमानत देते समय संक्षिप्त कारण देने पर जोर देते हुए, इस न्यायालय द्वारा रमेश भवन राठौड़ (ऊपर) के मामले में यह कहा गया है कि हालांकि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि यह निर्धारित करने में कि क्या

एच.

जमानत दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय, या उस मामले के लिए, सत्र न्यायालय धारा 439 Cr.P.C के तहत एक आवेदन का निर्णय गुण-दोष के आधार पर तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन पर शुरू नहीं करेगा क्योंकि एक आपराधिक मुकदमा अभी भी होना बाकी है।यह आगे देखा गया है कि हालाँकि जमानत देने वाला न्यायालय जमानत देने या न देने का निर्णय लेने के उद्देश्य से न्यायिक दिमाग को लागू करने और संक्षिप्त कारणों को दर्ज करने के अपने कर्तव्य को अस्वीकार नहीं कर सकता है।यह देखा गया है कि आवेदन के परिणाम का एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरी ओर आपराधिक न्याय के उचित प्रवर्तन में सार्वजनिक हित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकार भी दांव पर होते हैं और इसलिए जमानत देते समय, न्यायालय को न्यायिक दिमाग लगाना पड़ता है और यह तय करने के उद्देश्य से संक्षिप्त कारण दर्ज करने होते हैं कि जमानत दी जाए या नहीं।इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 36 में उपरोक्त निर्णय में आगे कहा गया हैः

बी.

सी.

“36. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक का प्रयोग करने वाला मामला है।जमानत देने या अस्वीकार करने में न्यायिक विवेकाधिकार-जैसा कि किसी अन्य विवेकाधिकार के मामले में, जो एक न्यायिक संस्थान के रूप में अदालत में निहित है-असंरचित नहीं है।कारणों को दर्ज करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अदालत को सौंपे गए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए।न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग यह सुनिश्चित करती है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करती है।”

डी.

ई.

9. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में प्रत्यर्थी नं.2 इसमें जमानत पर कानून के साथ-साथ तथ्यों दोनों पर टिकाऊ नहीं है।उच्च न्यायालय द्वारा जो भी कारण दिए गए हैं, वे स्पष्ट नहीं हैं।जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई प्रासंगिक सामग्री/साक्ष्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है, जो आरोप पत्र का हिस्सा हैं।अनुसंधान के दौरान और यहाँ तक कि आरोप पत्र के अनुसार यह आरोप लगाया जाता है कि मौद्रिक लाभों के लिए, प्रत्यर्थी नं।2 उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और एक आकस्मिक मामला बनाने की कोशिश की।अनुसंधान के दौरान, यह पता चला है कि प्रत्यर्थी नं।2 रुपये की 29.09.2020 पर अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली। 60 लाख।अपराध की तारीख 7 बजे 26.12.2020 है:00 ए. एम. के दौरान

एफ.

जी.

एच.

अनुसंधान और कॉल विवरण से यह पता चला है कि प्रत्यर्थी नं।2 4 से अन्य सह-अभियुक्त के साथ फोन पर लगातार संपर्क में था:22 ए. एम. से 6:25 ए. एम. 26.12.2020 पर।

अनुसंधान के दौरान और आरोप पत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश के एक हिस्से के रूप में, प्रत्यर्थी नं।2 – ललितभाई गणपतजी टैंक अपनी पत्नी को पैदल हनुमानजी मंदिर ले गया और जैसे ही उसे रास्ते में मौका मिला, उसने योजना को अंतिम रूप देने के लिए सह-आरोपी कीर्तिकुमार कनजी को फोन किया।कीर्तिकुमार कानाजी ने एक अन्य सह-अभियुक्त महेश (स्विफ्ट कार के चालक) को फोन किया और उसके बाद सह-अभियुक्त महेश ने मृतक दक्साबेन को उक्त कार से मारा और पीछे से हत्या कर दी ताकि इसे एक आकस्मिक मृत्यु माना जा सके।इन सभी समय के दौरान, सभी आरोपी फोन कॉल पर संपर्क में थे। इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए और प्रत्यर्थी सं. द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए।2, उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या जारी नहीं करनी चाहिए थी।2 जमानत पर।प्रत्यर्थी नं. को रिहा करते समय।2 जमानत पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय उन मापदंडों पर विचार नहीं किया है जिन पर विचार किया जाना चाहिए और वह भी हत्या और उसकी पत्नी की हत्या की साजिश रचने के गंभीर अपराध में।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं.2 इसे कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द करके अलग रखा जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है।आपराधिक विविध आवेदन संख्या 9390/21 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 30.07.2021 का विवादित निर्णय और आदेश, प्रत्यर्थी संख्या 9390/21 को जारी करता है।2 इसमें जमानत को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।चूंकि, हमने प्रत्यर्थी संख्या को जारी करने वाले विवादित आदेश को रद्द कर दिया है और अलग कर दिया है।2 यहाँ जमानत पर, प्रत्यर्थी नं। 2 आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय/जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।हालाँकि, यह देखा गया है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के प्रश्न पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं और निचली अदालत मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगी और कानून के अनुसार और दोनों पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेगी।

ई.

एफ.

जी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एच.